अतिशीघ्र / तत्काल
विधानसभा प्रश्न

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार
शिक्षा निदेशालय, पुराना सचिवालय, दिल्ली–110054
विधायी कार्य शाखा / प्रश्न कक्ष

संख्या – डी.ई. 25(13)/501/एल.डब्ल्यू./2024–25/6164-6165 दिनाँक – 23/03/2025

सेवा में,

श्रीमान् उप सचिव (प्रश्न कक्ष),
दिल्ली विधान सभा सचिवालय,
पुराना सचिवालय, दिल्ली–110054।

विषय– विधानसभा तारांकित प्रश्न संख्या....11.. , दिनाँक – 24.03.2025 के सन्दर्भ में।

महोदय,

आपके द्वारा प्रेषित उपरोक्त विधानसभा अतारांकित प्रश्न संख्या....11....(100 प्रतियाँ), जो कि दिनाँक–24.03.2025 के लिए सूचीबद्ध किया गया है, का उत्तर माननीय शिक्षा मंत्री जी की पूर्वानुमति से आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किया जाता है।

भवदीय

संलग्नक – उपरोक्तानुसार

Mohinder Pal

(महेन्द्र पाल)
अतिरिक्त शिक्षा निदेशक (विधायी कार्य शाखा)

(MOHINDER PAL)
Additional Director of Education
Directorate of Education
Delhi-110054

संख्या – डी.ई. 25(13)/501/एल.डब्ल्यू./2024–25/6164-6165 दिनाँक – 23/03/2025

प्रतिलिपि – निदेशक, सूचना एवं प्रचार विभाग, दिल्ली सरकार, पुराना सचिवालय, दिल्ली – 110054 को 150 प्रतियाँ अग्रिम एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जाती है।

Mohinder Pal

(महेन्द्र पाल)
अतिरिक्त शिक्षा निदेशक (विधायी कार्य शाखा)

(MOHINDER PAL)
Additional Director of Education
Directorate of Education
Delhi-110054

विभाग का नाम :– शिक्षा विभाग

विभाग का पता :– पुराना सचिवालय, दिल्ली – 110054

तारांकित प्रश्न संख्या :– 11

दिनाँक :–24.03.2025

प्रश्नकर्त्ता का नाम :– श्री चौधरी जुबेर अहमद

क्या माननीय शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि:–

क्रम सं	प्रश्न	उत्तर
क)	क्या यह सत्य है कि ब्रह्मपुरी मेनरोड, सीलमपुर में दिल्ली सरकार का एक स्कूल स्थित है;	जी हाँ, ब्रह्मपुरी मेनरोड, सीलमपुर में दिल्ली सरकार का एक स्कूल– राजकीय सह शिक्षा उच्चतर माध्यमिक विद्यालय (गांधी) ब्रह्मपुरी, दिल्ली–53 विद्यालय आईडी–1105249 स्थित है।
ख)	यदि हाँ, तो क्या यह भी सत्य है कि यह स्कूल अत्यंत जर्जर स्थिति में है;	विद्यालय का भवन जर्जर होने की स्थिति के कारण प्रशासनिक अनुमति के बाद उसे पूरी तरीके से तोड़ दिया गया तथा विद्यालय के नए भवन के निर्माण से संबंधित प्रक्रिया विभाग के पास क्रियान्वित होने की प्रक्रिया में है। बिल्डिंग तोड़ने हेतु प्रशासनिक अनुमति की तिथि :–28.07.2019 बिल्डिंग तोड़ने की तिथि:– फरवरी से अप्रैल 2021 बच्चों की पढ़ाई हेतु की गई व्यवस्था : जीजीएसएसएस नं. 2, नया सीलमपुर, स्कूल आईडी–1105025 स्कूल जमीन की वर्तमान स्थिति : स्कूल जमीन का प्लाट खाली है।
ग)	यदि हाँ तो क्या इस स्कूल के पुनर्निर्माण का कोई प्रस्ताव विचाराधीन है;	पुनर्निर्माण का प्रस्ताव विभाग के पास क्रियान्वित होने की प्रक्रिया में है। प्रारंभिक स्वीकृति दिनांक 27.09.2021 में परिकल्पित प्लिंथ क्षेत्र 6504 वर्ग मीटर के साथ 80 समकक्ष कक्षाओं के निर्माण के लिए एक अनुमान तैयार किया गया था और 80 कक्षाओं के निर्माण के लिए प्रमुख सचिव द्वारा 26,59,16000/– रूपये की राशि स्वीकृत की गई थी, लेकिन पेड़ों की कटाई न होने के कारण स्कूल भवन का निर्माण शुरू नहीं किया जा सका था क्योंकि एनजीटी ने पेड़ों की कटाई पर आपत्ति जताई थी। इसके बाद, पीएआर 2023 के आधार पर 4395 वर्ग मीटर के प्लिंथ क्षेत्र के साथ 64 (52+12) समतुल्य कक्षाओं के निर्माण का संशोधित प्रस्ताव पेश किया गया था। विस्तृत अनुमान में शामिल मंजूरी के घटकों के लिए पीएआर 2023 के आधार पर लागत 23,79,84,161(तेईस करोड़ उन्नासी लाख चौरासी हजार एक सौ इकसठ मात्र) रूपये थी। यह ध्यान देने योग्य था कि विस्तृत अनुमान में वास्तव में विचार किए गए समकक्ष कक्षाओं की संख्या 64 हैं? जिसमें एक ब्लॉक में 52 और दूसरे ब्लॉक में 12 शामिल है, जबकि शुरू में विचार किए गए समकक्ष कक्षाओं की संख्या 80 थी। प्रारंभिक विचार से लागत में वृद्धि समय के साथ सामग्री और श्रम की लागत में वृद्धि के कारण हुई थी, जिसके परिणामस्वरूप PARs 2023DSR (दिल्ली अनुसूची दरें 2023) में दरें अधिक हो गई थी। उपरोक्त कार्य के लिए प्रारंभिक अनुमान पीएआर 2012 पर आधारित था और 15.03.2021 को ही भेजा गया था और ए/ए और ई/एस दिनांक 27.09. 2021 को प्राप्त हुआ था, लेकिन भवन ले–आउट योजना में पेड़ों की मौजूदगी के कारण कार्य शुरू नहीं किया जा सका था। वर्तमान विस्तृत अनुमान लोक निर्माण विभाग द्वारा अक्टुबर 2023 में तैयार किया गया था, जब उसे शिक्षा निदेशालय से पत्र संख्या एफ/16.एस्टेट/डीओई/कंस्ट्रान रूम/जी.

Mohinder Pal

(MOHINDER PAL)
Additional Director of Education
Directorate of Education

		को–एडएसएसएस/ब्रह्मपुरी/2534–39 दिनांक 21 जुलाई, 2023 के माध्यम से निर्देश प्राप्त हुए थे। जिसमें पेड़ों को स्थानांतरित करने से बचते हुए संशोधित योजना के अनुसार कमरों की संख्या कम करने के लिए आगे बढ़ने का निर्देश दिया गया था। विस्तृत अनुमान उस कार्य के लिए आधारित था, जिसकी राशि 1,96,90,434 रूपये थी, जो वर्तमान में लागू प्लिंथ क्षेत्र के आधार पर 64 समतुल्य कक्षाओं के क्षेत्र को कम करने के लिए 23,79,84,161 रूपये की प्रारंभिक राशि के भीतर थी, जिसे पीडब्ल्यूडी द्वारा उचित ठहराया गया था। लेकिन संबंधित एजेंसी द्वारा उक्त प्रस्ताव पर अमल नहीं किया गया था, क्योंकि हरे पेड़ों के कारण 12 कमरों का निर्माण नहीं किया जा सकेगा तथा संबंधित एजेंसी ने प्राधिकरण को सूचित किया था कि स्कूल की भूमि के वर्तमान परिदृश्य में केवल 52 कमरों का निर्माण किया जाएगा। पीडब्ल्यूडी के अनुरोध पर 52 कमरों की निर्माण की योजना पीडब्ल्यूडी को भेज दी गई है।
घ)	यदि हाँ, तो कब तक; और	यहां पर 80 कमरों के निर्माण हेतु 26.59 करोड़ रूपये का सैंक्शन ऑर्डर 27.09.2021 को जारी किया गया था। परंतु बाद में पीडब्ल्यूडी द्वारा यह सूचित किया कि इस स्थान पर अधिक संख्या में पेड़ होने के कारण 80 कमरों का निर्माण संभव नहीं है। अतः पीडब्ल्यूडी को संशोधित प्रारंभिक अनुमान भेजने के लिए 28.02.2025 को पत्र लिख दिया गया है।
ड़)	यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं?	लागू नहीं।

Mohinder Pal

(MOHINDER PAL)
Additional Director of Education
Directorate of Education
Delhi-110054